Mail lokeshbansal408@gmail.com

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./83/2024/40007 दिनांक : 07 NOV 2024

: : आ दे श : :

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (हिन्दी) के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की दिनांक 18.12.2023 को प्रकाशित रिजर्व लिस्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)151/2022/1054 दिनांक 06.11.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थी को दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड– तृतीय (हिन्दी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/– रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

S. N.	ROLL NO.	NAME OF CANDIDATE WITH FATHER'S NAME	ADDRESS	DOB	SELECTED CATEGORY	GENDER
1	44226	SH. LOKESH KUMAR GUPTA S/O HARI MOHAN	NEAR USHA TEMPLE PATHAN PARA, BAYANA DISTRICT BHARATPUR	02-10-1986	GEN	M

1. उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (हिन्दी) की संयुक्त परीक्षा 2023 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एकसाथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुर्नभरण के सम्बंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय– समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. उपरोक्त अभ्यर्थी का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

Sd/-

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अ ल व र

कमांक : स्था./2024/40008-13 दिनांक : 07 NOV 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्री लोकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरिमोहन निवासी उषा मन्दिर के पास, पठान पाडा, बयाना जिला भरतपुर (राज0) को {जिर्ये रजिस्टर्ड डाक}।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अलवर को जिला न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित अभ्यर्थी की ई–मेल आई.डी. पर प्रेषित करने हेतु।
4. लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

7.11.2024

(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र